



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भास्त)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

दिनांक- 13-08-2026

पत्रांक-755/कु०स०का०/सि०वि०वि०/2026,

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने सम्बन्धी विनियम, 2009 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1357/सत्तर-1-2026 दिनांक 13 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं०-R-11/02/2024-PRP&P दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के संदर्भ प्रेषित शासन के पत्र संख्या-1939/सत्तर-1-2026 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 के माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने सम्बन्धी विनियम, 2009 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जिससे रैगिंग की कोई घटना न हो तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित हो के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में संलग्न पत्र के अनुसार रैगिंग की समस्या को रोकने सम्बन्धी विनियम, 2009 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, जिससे रैगिंग की कोई घटना न हो तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित हो के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को उक्त सूचना ससमय प्रेषित किया जा सकें।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक- /तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भास्त)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक-755/ कु०स०का० / सि०वि०वि० / 2026,

दिनांक- 13-08-2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय- उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने सम्बन्धी विनियम, 2009 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1357/सत्तर-1-2026 दिनांक 13 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं०-R-11/02/2024-PRP&P दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के संदर्भ प्रेषित शासन के पत्र संख्या-1939/सत्तर-1-2026 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 के माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने सम्बन्धी विनियम, 2009 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जिससे रैगिंग की कोई घटना न हो तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित हो के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में संलग्न पत्र के अनुसार रैगिंग की समस्या को रोकने सम्बन्धी विनियम, 2009 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, जिससे रैगिंग की कोई घटना न हो तथा प्रभावी निगरानी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम और शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित हो के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को उक्त सूचना ससमय प्रेषित किया जा सकें।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक-755/तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।